



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.:सं. NCST/SER-1022/MRLY/1/2023-RO-JPR-RU-IV

दिनांक :30/07/2025

सेवा में,

श्री अमिताभ

महाप्रबंधक,
उत्तर पश्चिम रेलवे,
जवाहर सर्किल के पास,
मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान - 302017
E.mail: gm@nwr.railnet.gov.in

विषय: उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को प्रताडित करने व अनावश्यक रूप से परेशान करने के संबंध में श्री राम रतन मीणा -, कार्यालय अधीक्षक, वेतन अनुभाग, उ.रे.प., जयपुर का दिनांक 07-06-2023 को अभावेदन।

संदर्भ: आयोग के पत्र दिनांक 19.03.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **05.08.2025 को 02:00 P.M** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीणा/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री राम रतन मीणा,
कार्यालय अधीक्षक,
मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेलवे -, पॉवर हाउस रोड,
जयपुर -302006 (राज.:मो (9252233473

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

6th Floor, B Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777